

उत्तर प्रदेश शासन
चिकित्सा अनुभाग—9
संख्या—341 / पांच—9—2019—6(74) / 94टी०सी०—1
लखनऊ : दिनांक ५ जून, 2019

कार्यालय ज्ञाप

गर्भधारण पूर्व और प्रसूति निदान तकनीक (लिंग चयन प्रतिषेध) अधिनियम, 1994 (अधिनियम संख्या—57, सन् 1994) की धारा—17 की उपधारा—6 के अधीन शक्ति का प्रयोग करते हुए श्री राज्यपाल, राज्य समुचित प्राधिकरण को सहायता एवं परामर्श देने के लिए एक राज्य सलाहकार समिति का गठन करते हैं, जिसमें निम्नलिखित होगे :—

- 1 डा० विनीता दास, विभागाध्यक्ष स्त्री रोग विभाग, —अध्यक्ष
के०जी०एम०य००, लखनऊ।
- 2 डा० अरुणा नारायण, बाल रोग विशेषज्ञ, सिफ्सा, लखनऊ —सदस्य
- 3 डा० कौशिक मण्डल,
एस०जी०पी०जी०आई०, सी—ब्लाक
रायबरेली रोड, लखनऊ —सदस्य
- 4 श्रीमती कुल्सुम तलहा,
वरिष्ठ पत्रकार एवं सामाजिक कार्यकर्त्री,
सी०—23 दिलकुशा कालोनी, लखनऊ। —सदस्य
- 5 सुश्री नेहा चौधरी, राज्य प्रबन्धक, प्लान इण्टरनेशनल,
3 / 269, विशाल खण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ। —सदस्य
- 6 डा० सहबा हुसैन, बेटी फाउण्डेशन, महानगर लखनऊ। —सदस्य
- 7 वरिष्ठ विधि अधिकारी, स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय,
स्वास्थ्य भवन, लखनऊ। —सदस्य
- 8— निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उ०प्र०० लखनऊ द्वारा नामित
प्रतिनिधि।

प्रशान्त त्रिवेदी
प्रमुख सचिव।

संख्या-341(1) / पांच-९-२०१९ तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार निर्माण भवन नई दिल्ली।
- 2— समिति के समस्त सदस्यगण।
- 3— समस्त प्रमुख सचिव / सचिव उ०प्र० शासन।
- 4— समस्त मण्डलायुक्त उ०प्र०।
- 5— महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं उ०प्र० लखनऊ।
- 6— महानिदेशक, राष्ट्रीय कार्यक्रम, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन परिवार कल्याण महानिदेशालय उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या—प०क० / १०—ज०डी० / १०४८(vol-ii) / २०१९ / ९७८८ दिनांक ११.०३.२०१९ के सन्दर्भ में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
- 7— समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकि० स्वा० एवं परिवार कल्याण उ०प्र०।
- 8— समस्त जिलाधिकारी / मुख्य चिकित्साधिकारी उ०प्र०।
- 9— संयुक्त निदेशक (आई०ई०सी०) आई०ई०सी० व्यूरो-४ पण्डित नगर लखनऊ उ०प्र०।
- 10— निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ०प्र०।
- 11— गार्ड फाइल।

आङ्गा

(रवि शंकर गुप्ता)
विशेष सचिव।

ई—मेल

कार्यालय राज्य समुचित प्राधिकरण (पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम, 1994),

परिवार कल्याण महानिदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ

प०क० / १०—ज०डी० / १०४८(vol.-ii) / २०१९ / १९९-१९६ लखनऊ, दिनांक ०५ जुलाई 2019
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- (2) मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तर प्रदेश।
- (3) समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- (4) समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- (5) समस्त जिला—मजिस्ट्रेट / समुचित प्राधिकारी, पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम, 1994, उत्तर प्रदेश।
- (6) समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- (7) समिति के समस्त सदस्यगण।

(नीना गुप्ता)

अध्यक्ष, राज्य समुचित प्राधिकरण
(पी०सी०पी०एन०डी०टी० अधिनियम, 1994),

उत्तर प्रदेश, लखनऊ